161

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर
केंप उज्जैन R 489-PB/17

प्रकरण क्रं   नि.

पवर्तलाल पिता उंकारलाल जाति आंजना,
निवासी ग्राम माउखेड़ी तह. पिपलोदा जिला रतलाम .
..........आवेदक

विरूद्व

श्री प्रताप मेहता अधि. द्वारा कैम्प उज्जैन में प्रस्तुत 1-2-17

(1) देवीलाल पिता कारूलाल जाति भील, आयु– 25 वर्ष निवासी– ग्राम माउखेड़ी तह. पिपलोदा जिला रतलाम
(2) जीवनलाल पिता कारूलालजी, जाति भील निवासी– ग्राम माउखेड़ी तह. पिपलोदा जिला रतलाम
(3) चंदाबाई पिता कारूलाल जी, निवासी– दीवाला तह. अरनौद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान
(4) गट्टाबाई पिता उंकारलाल जी जाति भील निवासी– ग्राम माउखेड़ी तह. पिपलोदा जिला रतलाम
(5) नब्बीबाई पिता उंकारलाल जी, निवासी– भुतेश्वर महादेव मंदिर के पास पिपलौदा
(6) कलाबाई पिता उंकारलाल जी, निवासी– ग्राम केशरपुरा तह0 पिपलौदा जिला रतलाम

24-3-17

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जावरा ने प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2015–16 मे दिनांक 09.01.2017 को जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01. यह कि, आवेदक ने कारूलाल पिता उंकार, नब्बीबाई पिता उंकार (अनावेदक कमांक 5), कलाबाई पिता उंकार (अनावेदक कमांक 6) से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कृषि भूमि सर्वे नंबर 27 रकबा 2.69 आरे स्थित ग्राम माउखेड़ी तह. पिपलोदा राशि

निरंतर.........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - रतलाम

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-489-पीबीआर/17

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

... उभय (अनावेदक